न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 24 / 2016

सुरेशचन्द गुप्ता पुत्र ए.पी. गुप्ता जाति वैश्य निवासी झोरोल तहसील नदबई

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2)राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,

———

उपस्थित :–
1–श्री तालेराम अभिभाषक प्रार्थी,
2–राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 16.3.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थी के खिलाफ इस आश्य का पेश किया गया है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 401 रकवा 10 बीघा 10विस्वा ग्रांम झोरोल तहसील नदबई गैर मुमकिन रास्ता है। बन्दोवस्त विभाग ने गत आराजी खसरा नम्बर 401 रकवा 10बीघा 10 विस्वा से दो खसरा नम्बर 427 रकवा 3 विस्वा व 428 रकवा 6 बीघा 11 विस्वा बनाये हैं, जिसमें खसरा नम्बर 427 पर गैर मुमकिन गैंत इन्द्राज कर दिया जब कि सैटिलमेनट से पूर्व कोई गैंतवाड़ा नहीं था यह गैंतवाडा सम्वत् 2028 के सैटिलमेन्ट के दौराने आया है। सन् 1950 के सैटिलमेन्ट बन्दोवस्त विभाग ने खसरा नम्बर 427 रकवा 3 विस्वा से नया नम्बर 523 रकवा 04 ऐयर गैर मुमकिन गौत बनाया है और खसरा नम्बर 428 रकवा 6 बीघा 11 विस्वा से खसरा नम्बर 525 रकवा 0.66 ऐयर बनाया है। बन्दोवस्त विभाग ने खसरा नम्बर 523 रकवा 0.04 ऐयर गैर मुमकिन गैंत गलत दर्ज किया है। बन्दोबस्त विभाग को प्रीवियस इन्द्राज करने का अधिकार है किस्म बदलने का अधिकार नहीं है। गैर मुमकिन गैंत दर्ज हो जाने से रास्ता अवरुद्ध हो जावेगा। गैर मुमकिन गैंत पर आम पब्लिक कब्जा करेगी। अन्त में प्रार्थना कि है कि हाल खसरा नम्बर 523 / 0.04 गैर मुमकिन गैंत को दुरुस्त किया जाकर इसे गैर मुमकिन रास्ता शुद्ध किये जाने की प्रार्थना की है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा तहसीलदार नदबई से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नदबई रिपोर्ट पत्रक्रमांक एलआर/21/790 दिनांक 2-3-21 शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि भू प्रबन्ध विभाग ने 401 रकबा 10 बीघा 10विस्वा गैर मुमकिन रास्ता के नये खसरा नम्बर 427 रकबा 3 विस्वा व 428 रकबा 6 बीघा 11 विस्वा एवं 428 रकबा 6 बीघा 11 विस्वा बनाये हैं। उनका कहना है कि दुबारा हुये सैटिलेमेन्ट में खसरा नम्बर 427 रकबा 3 विस्वा से नया नम्बर 523 रकबा 04 ऐयर गैर मुमकिन गौत बनाया है, भूप्रबन्ध विभाग ने भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता की जगह गौत गलत दर्ज कर दिया है जो गलत है। उनका तर्क है कि भू प्रबन्ध विभाग को सैटिलमेन्ट से पूर्व के इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है। नम्बर 523 रकबा 04 ऐयर गैर मुमकिन गौत दर्ज हो जाने से रास्ते आम में रुकावट पैदा हो जावेगी। इसलिए आराजी खसरा नम्बर 523/0.04 ऐयर में दर्ज भूमि किस्म गैतवाडा के स्थान पर गैर मुमकिन रास्ता शुद्ध/दुरस्त कराये जाने हेतु निवेदन किया है।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 401 रकबा 10 बीघा 10विस्वा गैर मुमकिन रास्ता का एक बडा रकबा का नम्बर है। प्रार्थी ने भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेंट के दौराने गैर मुमकिन रास्ता के स्थान गत खसरा नम्बर से बनाये गये नये नम्बरों मे से एक खसरा नम्बर 523 रकबा 04 ऐयर गैर मुमकिन गौत दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरस्त कराये जाने हेतु निवेदन किया है। राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि भूप्रबन्ध कार्य के दौराने भूप्रबन्ध विभाग द्वारा भूमियों के सम्बन्ध अगर कोई त्रुटि की जाती है तो उसके संशोधन के लिये पृथक से एल.आर.एक्ट में प्रावधान दिया गया है। प्रार्थी ने किसी सरकारी भूमि के क्लेम के बारे में उल्लेख नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। तहसीलदार नदबई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के कथनों एवं तर्कों से स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रकरण भू प्रबन्ध विभाग ने भू प्रबन्ध कार्य के दौराने गत इन्द्राज के अनुसार इन्द्राज नहीं किये गये हैं। गत आराजी खसरा नम्बर 401गैर मुमकिन रास्ता से बने हाल खसरा नम्बरान में से एक खसरा नम्बर 523 रकबा 04 ऐयर भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता की जगह गैर मुमकिन गौत गलत दर्ज कर दी गई है। यानि प्रकरण भूप्रबन्ध विभाग द्वारा भूप्रबन्ध

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

कार्य के दौराने की गई गल्ती को सही करने का है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गलत इन्द्राज त्रुटि को दुरस्त कराने के लिये एल.आर.एक्ट की धारा 136 में प्रावधान दिया गया है जिसमें लैण्ड रिकार्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) को शक्ति दी गई हैं। हम राजकीय अभिभाषक के कथनों से सहमत हैं। प्रार्थी नियमानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतन्त्र है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा भूप्रबन्ध कार्य के दौराने की गई गल्ती को सही करने का मामला धारा 88(2)के तहत नहीं आता है अतः से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

जहॉ तक प्रश्न प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 8 में प्रार्थी द्वारा यह अंकित करना कि गलत इन्द्राज होने से गैर मुमकिन रास्ता पर भविष्य में अतिक्रमण करने से रास्ता अवरुद्ध करने की आशंका जाहिर करने का है, किसी भी सरकारी भूमि पर अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति में भूमिधारी तहसीलदार को एल.आर.एक्ट के तहत अतिक्रमी के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदत्त की हुई है। तहसीलदार नदबई विवादित खसरा नम्बर के सम्बन्ध में जॉच कर तथा अगर सरकारी हित प्रभावित हो, तो नियमानुसार कार्यवाही करें।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थनापत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर